राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

आबकारी भवन, 2 गुमानिया वाला, पंचवटी, उदयपुर (राज.) 313001

क्रमांक प.23(1) आब/लेखा/भांग/2020/613 दिनांकः 11.03. 2020

भांग समूहों हेतु निविदा सूचना

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 तथा उसके अन्तर्गत बने राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान 7 भांग पड़त समूहो में भांग थोक एवं खुदरा विक्रय के लिये अनुज्ञापत्र (Licence) स्वीकृत करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। मुख्य शर्ते निम्नानुसार है :–

भांग समूहों का विवरण निविदा प्रलेख (Tender Document) में उल्लेखित है। जो विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexcise.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदादाता द्वारा एक से अधिक समूह के लिए भी निविदा प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु प्रत्येक समूह के लिए पृथक पृथक निविदा प्रपत्र पर निविदा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। निविदा में प्रस्तावित समूह का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जावे। प्रस्तावित समूह के लिए निविदा प्रपत्र में वही राशि अंकित की जावे, जो निविदादाता दिनांक 1.4.2020 से 31.3.2021 तक की अवधि के लिए अनुज्ञाफीस के रूप में देना चाहता है। यह राशि आरक्षित राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

भांग समूहों हेतु आरक्षित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अमानत राशि (earnest money) निविदा के साथ देय होगी। यह राशि निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एंव शर्तो के अनुसार आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में ट्रेजरी चालान द्वारा राजकोष में जमा करानी होगी अथवा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर के पक्ष में उदयपुर में देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा के साथ वांछित अमानत राशि जमा नही कराने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

निविदा के संबंध में अन्य सभी शर्ते निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न विस्तृत निर्देश एंव शर्ते तथा अनुज्ञापत्रों की शर्तो के अनुसार होगी। निविदादाता द्वारा प्रस्तावित किसी प्रकार की कोई शर्त मान्य नही होगी। निविदा प्रलेख विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexcise.gov.in** से डाउनलोड किया जाकर निविदा शुल्क राशि रूपये 1000/– (एक हजार मात्र) जरिये बैंक ड्राफ्ट/नकद जमा करवाने होगे।

इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में **दिनांक 18. 03. 2020 को अपरान्ह 3.00 बजे तक** कार्यालय आबकारी आयुक्त, 2–गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर में प्रस्तुत कर सकते है। फैक्स अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रस्तुत निविदा मान्य नही होगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिन **अपरान्ह 3.30 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। आबकारी आयुक्त को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

वर्ष 2020–21 के भांग खुदरा समूहों आरक्षित राशि विवरण

क्र. सं.	राजस्व जिला	भांग खुदरा समूह का नाम	समूह में दुकानों की संख्या	वर्ष 2020–21 हेतु आरक्षित राशि (लाख रू. में)	10 प्रतिशत अमानत राशि (लाख रू.में)
1	टोंक	टोंक	12	74.67	7.47
2	भरतपुर– धौलपुर	भरतपुर– धौलपुर	28	138.30	13.83
3	करौली	करौली	5	72.57	7.26
4	बीकानेर	बीकानेर	11	208.59	20.86
5	बाडमेर	बाडमेर	5	8.69	0.87
6	जैसलमेर	जैसलमेर	3	48.30	4.83
7	जोधपुर	जोधपुर	5	130.94	13.09

आबकारी आयुक्त, राजस्थान